राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1556/2024

डॉ. प्रवीण चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशु पालन विभाग, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.03.2024

आदेश की दिनांक : 05.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री इन्द्ररेश शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को छठवां एवं सातवां वेतन आयोग के आधार पर वेतन निर्धारण करते हुये अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ एवं पदोन्नति आदि का लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी पशु सहायक सर्जन के पद पर वर्ष 1995 में चयनित हुआ और वर्तमान में अपीलार्थी पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा है। 29 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को अभी तक छठवें एवं सातवें वेतन आयोग का लाभ प्रदान नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी ने उक्त संबंध में विभाग को दिनांक 08.02.2019 एवं 26.12.2019 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये, परंतु कोई विचार नहीं किया गया और न

ही अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया तथा पदोन्नति आदि का लाभ भी प्रदान नहीं किया गया, जो विधि एवं सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को छठवां एवं सातवां वेतन आयोग के आधार पर वेतन निर्धारण करते हुये अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ एवं पदोन्नति आदि का लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी पशु सहायक सर्जन के पद पर वर्ष 1995 में चयनित हुआ और वर्तमान में अपीलार्थी पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य